रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2016/कार्तिक 5, 1938

No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2016/KARTIKA 5, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

फा. सं. मानक/एसपी(जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 के यथा अपेक्षित प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. मानक/एसपी (जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 16 अगस्त, 2016 के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें एतद्द्वारा संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव उक्त अधिसूचना सन्निहित सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त दो राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 19 अगस्त, 2016 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और जनता से उक्त दो प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: इसलिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 उपधारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, अर्थात् :-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) ग्यारहवाँ संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.3 के, उप-विनियम 2.3.30 'कार्बनिकृत फलपेय (फ्रूट बिवरेज) या फल ड्रिंक (फ्रूट ड्रिंक)' से समन्धित खंड 3 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3 (अ) यदि फ्रूट जूस की मात्रा 10.0 प्रतिशत से कम है परंतु 5.0 प्रतिशत से कम नहीं है (2.5 प्रतिशत लाइम या नींबू की दशा में), तो उत्पाद को 'फ्रुट जूस के साथ कार्बनिकृत पेय ' कहा जाएगा और ऐसे मामलों में टीएसएस (कुल घुलनशील ठोस) की अपेक्षा लागू नहीं होगी और फल रस की मात्रा को लेबल पर घोषित किया जाएगा।"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./282 (187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चायत् निम्म्लिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा. सं. पी. 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा. सं. पी. 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी , 2016;

(xiii) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट0 खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) फा. सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016

(xvii) फा. सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016,

(xviii) एफ़. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;

(xix) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016

(xx) फा. सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016 और

(xxi) एफ. सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016

MINISTRY Of HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

F. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 were published as required by sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated the 16th August, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th August, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) eleventh Amendment Regulations, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.30, relating to 'Carbonated Fruit Beverages or Fruit Drinks', after clause 3, the following clause shall be inserted, namely:-

   "3A. In case the quantity of fruit juice is below 10.0 per cent. but not less than 5.0 per cent. (2.5 per cent. in case of lime or lemon), the product shall be called 'carbonated beverage with fruit juice' and in such cases the requirement of TSS (Total Soluble Solids) shall not apply and the quantity of fruit juice shall be declared on the label".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./282 (187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;

(v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;

(vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F. No. P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;

(xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI- 2013, dated 11th January, 2016;

(xiii) F. No. 3-16/ Specified Foods/Notification (Food Additive)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

(xiv) F. No. 15-03 Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016;

(xv) F. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;

(xvi) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;

(xvii) F. No.1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, 23rd August, 2016;

(xviii) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;

(xix) F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;

(xx) F. No.11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016 and

(xxi) F. No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.28 15:20:51 +05'30'